उत्तराखण्ड शासन,
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग

संख्या–829/ XVIII-(2)/F/13–4(19)/2013 टी.सी.
देहरादून, दिनांक : 22 अगस्त, 2013

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य आपदा के उपरान्त पुनर्निर्माण कार्य तत्काल किये जाने की आवश्यकता और जनसाधारण को पुनः सुविधायें शीघ्रता से उपलब्ध कराये जाने एवं प्रदेश का अबाधित विकास सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से ''आपदा के पश्चात पुनर्निर्माण कार्यो की स्वीकृति हेतु उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति'' (High Powered Committee for Sanction of Post Disaster Re-construction Works) निम्नानुसार गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– अवस्थापना विकास आयुक्त–	अध्यक्ष
2– प्रमुख सचिव, वित्त–	सदस्य
3– प्रमुख सचिव, नियोजन–	सदस्य
4– वित्त विभाग के दो अपर सचिव (प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा नामित)–	सदस्य
5– सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव–	सदस्य
6– सचिव, आपदा प्रबन्धन–	सदस्य सचिव

आपदा के पश्चात पुनर्निर्माण कार्यो की स्वीकृति हेतु गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति ₹ 5.00 करोड़ के लागत तक के पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यो की स्वीकृति हेतु अधिकृत होगी। ₹ 5.00 करोड़ से लागत से अधिक की पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यो की स्वीकृति तद्सम्बन्धी अधिनियम के अधीन गठित ''राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण'' द्वारा प्रदान की जायेगी। ₹ 5.00 करोड़ से अधिक लागत की प्रस्तावों की स्वीकृति जारी करने हेतु आहूत राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में सम्बन्धित विभाग के मा0 मंत्री जी को भी आमंत्रित किया जायेगा।

समिति के अध्यक्ष यथाआवश्यकता किसी भी सरकारी अधिकारी अथवा विशेषज्ञ को बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित कर सकते है। उक्त समिति के कार्य एवं कार्य प्रणाली निम्नवत् होगीः–

1 समिति पुनर्निर्माण कार्यों की स्वीकृति हेतु "सिंगल विंडो" के रूप में कार्य करेगी।

2 समिति पुनर्निर्माण कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय दोनों स्वीकृति एक साथ प्रदान करेगी।

3 समिति अपने लिए TAC तथा EFC मुख्य सचिव के अनुमोदन से गठित करेगी।

4 पुनर्निर्माण हेतु किये जाने वाले सभी कार्य एवं प्रस्ताव समिति को भेजे जायेंगे। समिति उनका परीक्षण करके स्वीकृति हेतु तत्काल कार्यवाही करेगी।

5 समिति को अपने कार्य हेतु आवश्यकतानुसार अनुभागों तथा सुपरविज़न हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारी उपलब्ध कराये जायेंगे। यह अनुभाग तथा

अधिकारी समिति के साथ सम्ब समिति के कार्यों के अतिरिक्त वे अन्य
कोई कार्य नहीं करेंगे। उनकी न से समिति के लिए ही होंगी।

6 यथाआवश्यकता समिति विशेषज्ञों तथा तकनीकी एजेन्सियों की सहायता ले सकेगी।

7 समिति कार्यों को सुचारू रूप से तथा शीघ्र सम्पादित करने की दृष्टि से यथोचित वित्तीय सीमा हेतु स्वीकृति के अधिकार का प्रतिनिधायन जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त, विशेष रूप से नियुक्त राहत आयुक्त अथवा अन्य किसी प्राधिकारी को कर सकती है।

8 समिति दिन–प्रतिदिन के आधार पर जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त, विशेष रूप से नियुक्त राहत आयुक्त, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा अन्य प्राधिकारी/एजेन्सी से निरंतर सम्पर्क में रहेगी और सतत् अनुश्रवण करके यह सुनिश्चित करेगी कि पुनर्निर्माण कार्य हेतु सभी नये पुनर्निर्माण प्रस्ताव समिति को तत्काल उपलब्ध हो जायें। अत्यन्त विशिष्ट प्रकार के तकनीकी प्रस्तावों को छोड़कर शेष प्रस्ताव समिति को अभी से प्रारम्भ होकर शीघ्रातिशीघ्र अवश्य उपलब्ध हो जायें ताकि तत्काल स्वीकृति प्रदान की जा सके।

9 समिति अथवा वह अधिकारी जिसे स्वीकृति का अधिकार प्रतिनिधानित किया गया है, स्वीकृति प्रदान करते समय कार्य को प्रारम्भ करने की तिथि, कार्यों के विभिन्न चरणों के पूरा होने की तिथि तथा सम्पूर्ण कार्य सम्पादित होने की तिथि स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश में निर्दिष्ट की जायेगी।

10 इस समिति के गठन के पश्चात् पुनर्निर्माण सम्बन्धी सभी कार्यों की स्वीकृति केवल समिति अथवा वह अधिकारी जिसे स्वीकृति के अधिकार प्रतिनिधानित किये गये हैं, के द्वारा ही प्रदान की जायेगी। अन्य किसी विभाग/प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। स्वीकृति प्रदान करने हेतु समिति को स्वीकृति के उद्देश्य से शासन के समस्त विभागों की शक्ति प्रदत्त होगी।

11 समिति आपदा प्रबंधन विभाग, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा आपदा राहत कोष की बजट की मदों से पुनर्निर्माण के कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकृत होगी।

12 समिति यथा आवश्यकता पुनर्विनियोग करने तथा आकस्मिकता निधि से धन आहरित करने के लिए भी अधिकृत होगी।

13 समिति द्वारा पुनर्निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्गत किये जायेंगे। इस उद्देश्य हेतु आपदा प्रबंधन विभाग के सभी कर्मी पूर्ण रूपेण समिति के अधीन ही कार्य करेंगे। यथा आवश्यकता आपदा प्रबंधन विभाग को अतिरिक्त स्टाफ तथा उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि शासनादेश तत्काल निर्गत हो सकें।

14 समिति द्वारा स्वीकृति के शासनादेश निर्गत होने के पश्चात् कार्यों को शासन के सम्बन्धित विभागों द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

15 समिति द्वारा कार्य की आवश्यकता एवं प्रकृति के आधार पर निर्माण एजेन्सी भी नामित की जा सकती है जिसका उल्लेख शासनादेश में भी किया जायेगा।

16 पुनर्निर्माण कार्यों को शीघ्र सम्पादित करने के उद्देश्य से विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं, कार्यकारी आदेशों में समिति की सिफारिश पर "आपदा प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु गठित कोर कमेटी" द्वारा विचार करके छूट/विचलन/ संशोधन के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

17 समिति द्वारा पुनर्निर्माण कार्यों की स्वीकृति के लिए प्रतिदिन नियत समय पर बैठक की जायेगी।

18 समिति द्वारा प्रत्येक दिन नियत समय पर दैनिक प्रगति रिपोर्ट "आपदा प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु गठित कोर कमिटी" एवं "उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण" के अध्यक्ष को भेजी जायेगी।

19 समिति द्वारा निर्गत स्वीकृतियों को प्रत्येक दिन उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट पर डाला जायेगा और सभी सम्बन्धित को इसकी प्रति भेजी जायेगी।

20 समिति द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वीकृतियों का con-current audit कराया जायेगा।

21 CAG की एक audit team को समिति अपने कार्यालय से सम्बद्ध करने की कार्यवाही भी करेगी ताकि audit कार्य की निरंतरता बनी रहे।

22 समिति राज्य सरकार के सभी विभागों एवं संस्थानों को अपने कार्य करने के उद्देश्य से निर्देश/आदेश निर्गत करने के लिए अधिकृत होगी। निर्गत किये गये ऐसे किसी निर्देश/आदेश का पालन न करने को अत्यन्त सख्त रूप में लिया जायेगा और सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

23 इस आदेश में निर्दिष्ट किये गये बिन्दुओं से असंगत शासन के नियम, शासनादेश एवं अन्य कार्यकारी आदेश अतिक्रमित समझे जायेंगे।

24 समिति "मिशन मोड" के रूप में कार्य करेगी।

2— यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा.सं.—86NP/वित्त—5/2013, दिनांक 22 अगस्त, 2013 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भास्करानन्द
सचिव

संख्या— (1)/XVIII-(2)/2013-4(19)/2013 TC, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2— प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3— निजी सचिव, मा0 आपदा प्रबन्धन मंत्री, उत्तराखण्ड।
4— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

5— समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6— सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
7— सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
9— आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
10— समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
11— समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
12— राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
13— अधिशासी निदेशक, डी.एम.एम.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
14— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बड़ोनी)
अनु सचिव